[illegible]-8-22	पत्रावली [illegible] उप। निकट आदेश प्रकरण के निस्तारण [illegible] पत्रावली लिया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] बाद तामील तम्बर के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

राजस्व न्यायालय उपखंड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी—अमित कुमार वर्मा(आर.ए.स.)

मुकदमा नं.:— 15/21 तारीख:— रजू 17-5-2021

1. रामराज पुत्र धापूला जाति मीना उम्र 35 साल निवासी दीपपुरा तहसील करौली जिला करौली राज.

(सायलान)

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र चिरंजी जाति मीना उम्र 45 वर्ष
2. रमेश पुत्र श्योपाल जाति मीना उम्र 52 साल
3. धापूला पुत्र बली उम्र 76 साल जाति मीना
4. रघुवर पुत्र बली जाति मीना उम्र 62 साल
5. भीमसिंह पुत्र धापूला जाति मीना
6. विश्राम पुत्र धापूला जाति मीना
7. बबलू पुत्र धापूला जाति मीना
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील करौली राज.
9. सब रजिस्ट्रार करौली तहसीलदार करौली जिला करौली राज.

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 16-8-2022

सूक्ष्म में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार है कि सायल ग्राम दीपपुरा तहसील करौली का रहने वाला काश्तकार पेशा है। सायल एवं गैरसायलान नंबर 1 लगायत 7 की सयुंक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 2036–2041–2118–2120 कुल किता 4 कुल रकवा 10 बीघा 11 विस्वा वाके कस्बा करौली पटवार हल्का 8 करौली तहसील करौली स्थित है। सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि दर्ज बादपत्र पैरा नंबर 1 ख. न. 2036–2041–2118–2120 कुल किता 4 कुल रकवा 10 बीघा 11 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का 8 करौली तह. करौली है। उक्त आराजीयात में से 1 विस्वा भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग एन.एच. 11बी के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त आराजीयात मे मुताबिक जमाबंदी सं. 2072 से 2075 सायल व गैरसायलान नंबर 5,6,7 का 1/5 सयुंक्त रूप से हक व हिस्सा खातेदारी है एवं गैरसायलान नंबर 2 का 1/5 हिस्सा एवं गैरसायलान नंबर 3 का 1/5 हिस्सा हक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

खातेदारी व कब्जे काश्त का है। गैरसायलान दिन में अब दनियती आ गया है और गैरसायलान एक राय होकर सायल को संयुक्त रूप से काश्त करने में व्यवधान पैदा करने लग गये हैं और काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। संयुक्त रूप से काश्त करने से मना कर काश्त करने से वंचित करने पर आमादा है तब सायल ने गैरसायलान को हिस्से अनुसार बंटवारा कानूनी रूप से करवाने को दि. 20.4. 2021 को कहा तो गैरसायलान बंटवारा करने से इन्कार हो गये और जबरन वादग्रस्त आराजी को बिना बंटवारा करा ये दीगर व्यक्ति को रहने व वय करने व कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा करने की व जबरन कृषि भूमि में निर्माण कर अकृषि भूमि परिवर्तन करने व दीगर व्यक्तियों को बिना बंटवारा कराये रहने व वय करने हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन कराने व रिकोर्ड में परिवर्तन कराने की ऐलानिया धमकी दी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ता फैसला दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर के लिये पाबंद फरमाया जावे कि ता. फैसला दावा वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा नही होने तक वादग्रस्त आराजी दर्ज बादपत्र खसरा नंबर 2036–2041–2118–2120 कुल किता 4 रकवा 10 बीघा 11 विस्वा वाके करबा करौली पटवार हल्का 8 करौली तहसील करौली के संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग व काश्त लाभ में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नातो स्वयं करें ना दीगर से करावे व वाद ग्रस्त आराजीयात को दौरान दावा हस्तान्तरण कि किसी भी रीति नीति से दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरण नही करें ना दीगर से करावें व हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन नहीं करें ना दीगर से करावे व रिकोर्ड व मौके की स्थिति में गैरसायलान नंबर 8 व 9 किसी प्रकार का परिवर्तन करे ना दीगर से करावें। इस आशय के लिये गैरसायलान नंबर 8 व 9 को आदेशित फरमाया जावे व मौके की स्थिति में निर्माण कर परिवर्तन नहीं करें ना दीगर से करावें। दीगर दादरसी जो आवश्यक हो प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नं. 1,6,7 ने उपस्थित होकर जवाव प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं. 2036, 2041, 2118, 2120 कुल किता 4 कुल रकवा 10 वीघा 11 विस्वा ग्राम दीपपुरा तहसील करौली में स्थित हैं जो सायल व गैरसायलान के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त किये गये हैं। गैरसायल नं. 2 रमेश द्वारा किये गये बेचानके संबंध मे आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी के तहत अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। परंतु गैरसायल नं. 2 के हक में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित नहीं है। सायलान अपने हिस्से की भूमि को काश्तकर्ता चला रहा है। गैरसायलान द्वारा दि. 20. 4.21 को बंटवारा करने से इन्कार करने पर सायल द्वारा दावा व दरखास्त पेश करना गलत दर्ज किया है। सायल गैरसायलान को पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। सायल अपने हिस्से की भूमि को भूमाफियाओं को विक्रय करना चाहता है। गैरसायलान जरिये काउंटर टी आई सायलान को पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

वकील सायलान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 30.5.2022 को नोट प्रेस कर खारिज करा लिया गया है। काउन्टर प्रार्थना पत्र पर वकील गैरसायलान का कथन है कि वादग्रस्त भूमि सायलान व गैरसायलान के संयुक्त खातेदारी व कब्जो काश्त की है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। सायलान भूमि को बिना बंटवारा कराये दीगर व्यक्तियों को हस्तान्तरण करना चाहता है और भूमि को कृषि से अकृषि भूमि बनाना चाहता है। सायलान की इस अनाधिकृत कार्यवाही से हक हकूक गैरसायलान पर आघात है और गैरसायलान को अपूर्णीय क्षति व असुविधा है इसलिये गैरसायलान सायलान को ता फैसला काउन्टर क्लैम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं।

बहस, वकील उभयपक्षकारान का मनन किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्मत 2072–75 का अवलोकन किया गया जिससे भूमि सायलान व गैरसायलान के संयुक्त खातेदारी की होना प्रकट होता है जिससे प्रथम दृष्टया केस सायलान व गैरसायलान भूमि के सह खातेदार होने के कारण गैरसायलान के हक में प्रतीत नहीं होता है। सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण करने का हक है। गैरसायलान को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा होना प्रस्तुत रिकॉर्ड से साबित नहीं है। अतः काउन्टर प्रार्थना पत्र गैरसायलान चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः काउन्टर प्रार्थना पत्र गैरसायलान खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16-8-22 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया है।

(अभिषेक कुमार) उपखंड अधिकारी
उपखंड अधिकारी करौली

Scanned with CamScanner